वित्त (व्यय-4 एवं सार्वजनिक विनियोजन) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
डायरी संख्या ......2425......
दिनांक ......02 AUG 2018..

7/3/8/18

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

विषयः— राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों की क्रियान्विति ऑन लाईन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 में विभिन्न विभागो की अधिसूचित सेवाओं की प्रदायगी के सम्बन्ध में यह तथ्य सामने आया है कि कतिपय विभागों द्वारा वेबसाईट पर प्राप्त आवेदनों/पत्रावली की कियान्विति विभागवार वेबसाईट पर प्रदर्शित नही की जाकर कियान्विति ऑफ लाईन की जा रही है। विधान सभा प्रश्न सं0 677 (श्री बनवारी लाल सिंघल) के जबाव के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय, गृह विभाग (प्रभारी, जन अभियोग निराकरण विभाग) द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि सदस्य विधान सभा का सुझाव (बिन्दु सं0 4) उचित है एवं इस पर कार्यवाही की जावें। सभी विभाग अपनी वेबसाईट पर राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों और उसके निस्तारण को प्रदर्शित कर सकते है।

अतः इस सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत प्रदान सेवाओं की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति आपके विभाग की वेब साईट पर प्रदर्शित कराने हेतुसम्बन्धित अधिकारी को निर्देशत करावें। इस सम्बन्ध में यदि आपके अन्य कोई सुझाव/राय भी हो तो इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

कार्यालय संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग
पत्र प्राप्ति संख्या....2941....
दिनांक....3/8/18....

संलग्न : विधान सभा प्रश्न की प्रति।

(ओम प्रकाश वर्मा)
शासन उप सचिव

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव,
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव
3. समस्त शासन सचिव,

अशा0 टीप0 क्रमांक प.26(1)प्रसु/सम/अनु-1/2017
जयपुर दिनांक : 27-7-2018

प्रतिलिपि : समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया वांछित सूचना/टिप्पणी सहित अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

2.	677		प्रदेश में लोकसेवा गारंटी कानून	अतारांकित		श्री बनवारी लाल सिंघल (106)

प्रश्न- 1. क्या यह सही है कि प्रदेश में लोकसेवा गारंटी कानून लागू है? यदि हां, तो कब से? कानून की प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकतम कार्यालयों में इस कानून का पालन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

3. क्या यह सही है कि उक्त कानून के प्रदेश में लागू होने से अब तक कार्यालयों में लोकसेवा गारण्टी कानून की जानकारी हेतु डिस्पले बोर्डस नहीं लगाये गए? यदि हां, तो क्या अब कब तक शत प्रतिशत कार्यालयों में डिस्पले बोर्ड लगवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

4. क्या कानून की क्रियान्विति के लए विभाग वार पत्रावलियों की प्रक्रिया वेबसाईट बनाकर प्रदर्शित किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन विभागों में और यदि नहीं, तो कब तक प्रक्रिया में लाया जा सकेगा?

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर–302016

यू. ओ. नोट

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओ की प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों की कियान्विति ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग से प्राप्त पत्र कमांक प.4(13)वित्त/राजस्व/2006 लूज ए दिनांक 06.08.2018 का पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में राजस्थान लोक सेवाओ की प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों की कियान्विति की ऑनलाईन प्रगति की वर्तमान स्थिति वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये है।

कृपया उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों की अनुपालना करते हुये लोक सेवाओ की प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों की कियान्विति ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(किशनाराम ईशरवाल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग,
मुख्यालय–जयपुर

यू. ओ. नोट कमांकः– वरि. अति. निदे./सतर्कता/2018/ 1944 दिनांक 14-9-18

(धनलाल शेरावत)
अति. निदेशक, सिस्टम

D:\Manohar\u.o.note.docx

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक प.4(13) वित्त/राजस्व/2006 लूज ए   जयपुर दिनांक 6 AUG 2018

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों की क्रियान्विति ऑन लाईन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

[redacted] (किसना राम ईसरवाल)
वरिष्ठ अति. निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग
जयपुर

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जन अभियोग निराकरण विभाग से प्राप्त अशा टीप क्रमांक प. 26(1)प्रसु/सम/अनु–1/2017 दिनांक 27.07.2018 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पालना की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तदनुसार जन अभियोग निराकरण विभाग को अवगत कराते हुए इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

[redacted] 773
3/8/18

प्रतिलिपि शासन उप सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को उनके अशा टीप क्रमांक प. 26(1)प्रसु/सम/अनु–1/2017 दिनांक 27.07.2018 के क्रम में प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

664   F.4(13)2006